तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.6.18	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन में आज लोक बेंच न. 1 पी. करता में पेश हुई। वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित। इसकी पश्चात वकील श्री श्रीआराम गोदारा हाजिर दी गई। विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार सिणधरी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व स्वतंत्र गवाह शंकरराम के बयानात कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 ने निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 ता 6 उसके पुत्र व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 उसकी पुत्रियां है। विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है जो मुझे मेरे पिता मेघाराम के फौत होने पर वारिसान की हैसियत से प्राप्त हुई है। और पुश्तैनी भूमि में दादा की सम्पत्ति में पोते व पोतियों का हक होने के कारण मेरे नाम वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण संख्या 1 व 2 ने निवेदन किया कि विवादित भूमि पुश्तैनी है उसके हमारे नाम दर्ज किया जावे। हम किसी घोषणा नहीं करवाना चाहते है इस कारण प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.10.17 को स्वीकार कर खातेदार घोषित किया जावे।	राणाराम शंकरराम

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

52/2017 ~~[illegible]~~ ओमाराम बनाम मेघाराम वगैरह

हमने उभयपक्ष की बहस को मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं तहसीलदार तिंवरी की ~~[illegible]~~ रिपोर्ट का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिससे पाया कि मूल ग्राम मुन्डा खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 08 के कारण खसरा में मेराम पुत्र रुका और चार दर्ज है मेराम के फौत होने पर उसके वारिसान भाकर तंवरा में मेरा, लहरणा व कानाराम के नाम दर्ज किये गये। इससे प्रमाणित है कि विवादित भूमि पुश्तैनी है, और वादीगण के दादा मेराम के नाम दर्ज होने के बाद उनके फौत होने पर वारिसान हैसियत से वादीगण के पिता भेराराम को खातेदारी प्राप्त हुई और बाद में बंटवारा करवाने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 14/2, 10, 14, 17 कुल रकबा 147-17 बीघा भूमि भोमाराम के नाम खातेदारी में अलग से दर्ज हुए। वादीगण अपने उक्त भूमि में संयुक्त खातेदारी घोषित करवाना चाहते हैं जो पैतृक व पुश्तैनी भूमि होने के कारण वादीगण इसके हकदार हैं। प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं ने अपने हकबाली जवाब व बयानात में स्वीकार किया है कि वादीगण उसके वारिसान हैं और उसके नाम खातेदारी घोषित भी आती है, तो वादगण है एवं

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

न्यायल

स्वतंत्र गवाह शंकराराम के बयानों से अन्य तथ्यों की ताईद होती है। एव तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी रिपोर्ट में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान बताया है और सहखातेदार घोषित की सिफारिश की गई है एवं पत्रावली के संलग्न रिकार्ड के अनुसार वादीगण सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जमीन के हकदार है। वादीगण द्वारा दिनांक 25.10.17 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें घोषित नहीं करने बाबत स्वीकार की जाती है। एवं पक्षकारान से भी पूछताछ करने पर पाया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान है और खातेदार प्रस्तुती है।

लिहाजा वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम - गुंगा चारणान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 14/2, 10, 14, 17 कुल रकबा 147-17 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पत्र जारी हो।

आदेश आज दिनांक 4.6.18 को पक्षकारान को सुनाया गया।

पत्रावली फैसल तदनुसार शुमार दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी
(लोक अदालत / केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र करना

पीठासीन अधिकारीः–...श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस.

उनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.भोमाराम 2.राणाराम 3.डालूराम 4.टीकमाराम 5.तिलोकाराम 6.नारणाराम पिसरान भेराराम 7.मांगीदेवी 8.मीरोदेवी पुत्रीया भेराराम जाति जाट निवासी भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी		1.भेराराम पुत्र मेहराजराम जाति जाट निवासी भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी 2.शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा सिणधरी 3.तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :–52/2017
निर्णय दिनांक :–04.6.2018

वादीगण की ओर से **श्री भोमाराम व श्री राणाराम स्वंय उपस्थित**..की व प्रतिवादी की ओर से **श्री भेराराम** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 04.6.2018 को **श्री अंजुम ताहिर** सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जात है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए स्वीकार किया जाकर ग्राम–भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 14/2,10,14,17 कुल रकबा 147–17 बीधा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार धोषित किया जाता है। शेष बदूस्तर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 4/6/18 .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर सिणधरी)

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner